न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00059 (39/2020) **दायरा दिनांक : 20.07.2020**

उनवान

पंसु बाई पत्नी जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी जालखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज0)
.... अपीलांट

बनाम

1. हरिप्रसाद पुत्र राधा मोहन, जाति ब्राहमण
2. शिव प्रसाद पुत्र राधा मोहन, जाति ब्राहमण
3. चतुर्भुज पुत्र राधा मोहन, जाति ब्राहमण
4. गजेन्द्र पुत्र राधा मोहन, जाति ब्राहमण
5. नन्द किशोर पुत्र राधा मोहन, जाति ब्राहमण
   अकवाम निवासीगण ग्राम कंवरपुरा भट्टजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
6. गोपाली बाई पत्नी कृष्ण गोपाल, जाति मीणा, निवासी लुकट मृतक जर्ये कायम मुकामान :—
   1. फूलचन्द पुत्र गोपाली बाई
   2. चन्द्र प्रकाश पुत्र गोपाली बाई
   3. कान्ती बाई पुत्री गोपाली बाई

   अकवाम जाति मीणा, निवासी लुकट, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
7. गीता बाई पत्नी घनश्याम, जाति ब्राहमण, निवासी लेसरदा, तहसील केशवराय पाटन, जिला बून्दी (राज0)
8. संतोष बाई पत्नी रामशंकर, जाति ब्राहमण, निवासी लेसरदा, तहसील केशवराय पाटन, जिला बून्दी (राज0)
9. बलदेव आत्मज मदनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम कंवरपुरा भट्टजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
10. रामेश्वर आत्मज मदनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी महात्मा गांधी कालोनी, बस स्टैण्ड के पास, झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
11. लक्ष्मीकान्त पुत्र सतानन्द, जाति ब्राहमण (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :—
    1. कमलेश पुत्र लक्ष्मीकान्त
    2. राकेश पुत्र लक्ष्मीकान्त
    3. लोकेश पुत्र लक्ष्मीकान्त
    4. केलाराम पुत्र लक्ष्मीकान्त
    5. कमला बाई पुत्री लक्ष्मीकान्त

    अकवाम जाति ब्राहमण, निवासी माताजी मन्दिर रोड़ गुरूद्वारे के पास, बालापुरा, कुन्हाडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
12. राजेन्द्र कुमार पुत्र सतानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी गुर्जर मोहल्ला ब्रहमाणी मन्दिर के पास खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
13. गजेन्द्र कुमार पुत्र सुरेश चन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अन्नपूर्णा सदन भैरूजी के मन्दिर के पास, सकतपुरा, कोटा (राज0)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

14. अयोध्या बाई पुत्री दयानन्द पत्नी किशन [illegible] जाति ब्राहमण, निवासी गामच, तहसील केशवराय पाटन, जिला बून्दी (राज0)
15. गंगा बाई पुत्री दयानन्द पत्नी सतानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अन्नपूर्णा सदन भैरूजी के मन्दिर के पास, सकतपुरा, कोटा (राज0)
16. सुमन देवी पुत्री दयानन्द पत्नी सूरज कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी 1–थ–25, विज्ञान नगर, कोटा (राज0)
17. जगदीश प्रसाद पुत्र दयानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी 001/011160 इकबाल चौक रोड़ सकतपुरा, कोटा (राज0) (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
    1. अखिलेश पुत्र जगदीश प्रसाद
    2. प्रवीणा पुत्री जगदीश प्रसाद
    3. रचना पुत्री जगदीश प्रसाद
    4. प्रभा देवी बेवा जगदीश प्रसाद

    अकवाम जाति ब्राहमण, निवासी 001/011160 इकबाल चौक रोड़ सकतपुरा, कोटा (राज0)
18. पुरूषोत्तम पुत्र दयानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी इकबाल चौक रोड़ सकतपुरा, कोटा (राज0)
19. सुरेश चन्द पुत्र दयानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अन्नपूर्णा सदन, भैरूजी के मन्दिर के पास, सकतपुरा, कोटा (राज0)
20. नवीन कुमार नाबालिग पिता जुगल किशोर
21. शालू बाई नाबालिग पिता जुगल किशोर

    अकवाम जर्ये वली संरक्षण माता अनीता बाई पत्नी जुगल किशोर, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
22. राधाबाई पुत्री जुगल किशोर पत्नी श्री नीरज कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी श्रीजी चौक, पोरवालों का नोहरा बारां, जिला बारां (राज0)
23. अनिता बाई पत्नी जुगल किशोर, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
24. कौशल किशोर पुत्र परमानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
25. कमल नयन पुत्र परमानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी मकान नम्बर 2 सी 30 डबल स्टोरी नाका मदार रेती नगर पावर हाऊस के पास, अजमेर (राज0)
26. रामजानकी बाई पत्नी परमानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
27. कुन्ज बिहारी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम कंवरपुरा भट्टजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
28. चन्द्र मोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राहमण (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–
    1. कृष्ण गोपाल पुत्र चन्द्र मोहन
    2. बद्रीलाल पुत्री चन्द्र मोहन
    3. प्रेम बाई पुत्री चन्द्र मोहन
    4. विमला बाई पुत्री चन्द्र मोहन
    5. सीमा बाई पुत्री चन्द्र मोहन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अकवाम निवासी कंवरपुरा भट्टजी, तहसील [illegible], जिला झालावाड (राज0)

29. मांगी बाई पत्नी प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी लुकट, तहसील खानपुर (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
   1. परमानन्द पुत्र मांगीबाई
   2. बृजमोहन पुत्र मांगीबाई
   3. सीताराम पुत्र मांगीबाई
   4. रामदयाल पुत्र मांगीबाई

   अकवाम, जाति मीणा, निवासीगण ग्राम लुकट, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
30. अनुसुईया पत्नी जगदीश, जाति मीणा, निवासी ग्राम लुकट, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
31. कृष्ण गोपाल पुत्र चन्द्र मोहन, जाति ब्राहमण, निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी, बस स्टैण्ड के पास झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
32. बद्रीलाल पुत्र चन्द्र मोहन, जाति ब्राहमण, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
33. आशीष नाबालिग पुत्र ललतेश जर्ये माता उमा बाई पत्नी ललतेश, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
34. मुरली मनोहर नाबालिग पुत्र ललतेश जर्ये माता उमा बाई पत्नी ललतेश, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
35. उमा बाई पत्नी ललतेश, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
36. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
37. शाखा प्रबन्धक हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा बागैर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
38. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
39. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई. बैंक शाखा खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
40. शाखा प्रबन्धक झालावाड केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
41. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
42. उपपंजीयक एव नायब तहसीलदार सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2022/20 (काउंटर क्लेम) **दायरा दिनांक : 08.03.2022**

उनवान

पंसु बाई पत्नी जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी जालखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. हरिप्रसाद पुत्र राधा मोहन, जाति ब्राहमण
2. शिव प्रसाद पुत्र राधा मोहन, जाति ब्राहमण

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3. चतुर्भुज पुत्र राधा मोहन, जाति ब्राहमण
4. गजेन्द्र पुत्र राधा मोहन, जाति ब्राहमण
5. नन्द किशोर पुत्र राधा मोहन, जाति ब्राहमण
   अकवाम निवासीगण ग्राम कंवरपुरा भट्‌टजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
6. गोपाली बाई पत्नी कृष्ण गोपाल, जाति मीणा, निवासी लुकट मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   1. फूलचन्द पुत्र गोपाली बाई
   2. चन्द्र प्रकाश पुत्र गोपाली बाई
   3. कान्ती बाई पुत्री गोपाली बाई
   अकवाम जाति मीणा, निवासी लुकट, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
7. गीता बाई पत्नी घनश्याम, जाति ब्राहमण, निवासी लेसरदा, तहसील केशवराय पाटन, जिला बून्दी (राज0)
8. संतोष बाई पत्नी रामशंकर, जाति ब्राहमण, निवासी लेसरदा, तहसील केशवराय पाटन, जिला बून्दी (राज0)
9. बलदेव आत्मज मदनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम कंवरपुरा भट्‌टजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
10. रामेश्वर आत्मज मदनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी महात्मा गांधी कालोनी, बस स्टैण्ड के पास, झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
11. लक्ष्मीकान्त पुत्र सतानन्द, जाति ब्राहमण (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
    1. कमलेश पुत्र लक्ष्मीकान्त
    2. राकेश पुत्र लक्ष्मीकान्त
    3. लोकेश पुत्र लक्ष्मीकान्त
    4. केलाराम पुत्र लक्ष्मीकान्त
    5. कमला बाई पुत्री लक्ष्मीकान्त
       अकवाम जाति ब्राहमण, निवासी माताजी मन्दिर रोड़ गुरूद्वारे के पास, बालापुरा, कुन्हाडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
12. राजेन्द्र कुमार पुत्र सतानन्द, जाति ब्रहमण, निवासी गुर्जर मोहल्ला ब्रहमाणी मन्दिर के पास खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
13. गजेन्द्र कुमार पुत्र सुरेश चन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अन्नपूर्णा सदन भैरूजी के मन्दिर के पास, सकतपुरा, कोटा (राज0)
14. अयोध्या बाई पुत्री दयानन्द पत्नी किशन बिहारी, जाति ब्राहमण, निवासी गामच, तहसील केशवराय पाटन, जिला बून्दी (राज0)
15. गंगा बाई पुत्री दयानन्द पत्नी सतानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अन्नपूर्णा सदन भैरूजी के मन्दिर के पास, सकतपुरा, कोटा (राज0)
16. सुमन देवी पुत्री दयानन्द पत्नी सूरज कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी 1–थ–25, विज्ञान नगर, कोटा (राज0)
17. जगदीश प्रसाद पुत्र दयानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी 001/011160 इकबाल चौक रोड़ सकतपुरा, कोटा (राज0) (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
    1. अखिलेश पुत्र जगदीश प्रसाद
    2. प्रवीणा पुत्री जगदीश प्रसाद

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3. रचना पुत्री जगदीश प्रसाद
4. प्रभा देवी बेवा जगदीश प्रसाद

अकवाम जाति ब्राहमण, निवासी 001/01-160 इकबाल चौक रोड़ सकतपुरा, कोटा (राज0)

18. पुरूषोत्तम पुत्र दयानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी इकबाल चौक रोड़ सकतपुरा, कोटा (राज0)
19. सुरेश चन्द पुत्र दयानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अन्नपूर्णा सदन, भैरूजी के मन्दिर के पास, सकतपुरा, कोटा (राज0)
20. नवीन कुमार नाबालिग पिता जुगल किशोर
21. शालू बाई नाबालिग पिता जुगल किशोर

    अकवाम जर्ये वली संरक्षण माता अनीता बाई पत्नी जुगल किशोर, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
22. राधाबाई पुत्री जुगल किशोर पत्नी श्री नीरज कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी श्रीजी चौक, पोरवालों का नोहरा बारां, जिला बारां (राज0)
23. अनिता बाई पत्नी जुगल किशोर, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
24. कौशल किशोर पुत्र परमानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
25. कमल नयन पुत्र परमानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी मकान नम्बर 2 सी 30 डबल स्टोरी नाका मदार रेती नगर पावर हाऊस के पास, अजमेर (राज0)
26. रामजानकी बाई पत्नी परमानन्द, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
27. कुन्ज बिहारी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम कंवरपुरा भट्टजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
28. चन्द्र मोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राहमण (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–
    1. कृष्ण गोपाल पुत्र चन्द्र मोहन
    2. बद्रीलाल पुत्री चन्द्र मोहन
    3. प्रेम बाई पुत्री चन्द्र मोहन
    4. विमला बाई पुत्री चन्द्र मोहन
    5. सीमा बाई पुत्री चन्द्र मोहन

    अकवाम निवासी कंवरपुरा भट्टजी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
29. मांगी बाई पत्नी प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी लुकट, तहसील खानपुर (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
    1. परमानन्द पुत्र मांगीबाई
    2. बृजमोहन पुत्र मांगीबाई
    3. सीताराम पुत्र मांगीबाई
    4. रामदयाल पुत्र मांगीबाई

    अकवाम, जाति मीणा, निवासीगण ग्राम लुकट, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

30. अनुसुईया पत्नी जगदीश, जाति मीणा, निवासी ग्राम ...कट, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
31. कृष्ण गोपाल पुत्र चन्द्र मोहन, जाति ब्राह्मण, निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी, बस स्टैण्ड के पास झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
32. बद्रीलाल पुत्र चन्द्र मोहन, जाति ब्राहमण, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
33. आशीष नाबालिग पुत्र ललतेश जर्ये माता उमा बाई पत्नी ललतेश, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
34. मुरली मनोहर नाबालिग पुत्र ललतेश जर्ये माता उमा बाई पत्नी ललतेश, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
35. उमा बाई पत्नी ललतेश, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
36. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
37. शाखा प्रबन्धक हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा बागैर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
38. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
39. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई. बैंक शाखा खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
40. शाखा प्रबन्धक झालावाड केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
41. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
42. उपपंजीयक एवं नायब तहसीलदार सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0) ...... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री संजय कुमार सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2, 5, 9, 10, 27, 31, 32 की ओर से
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 28.04.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 707/दावा/2018 (पूर्व मि0 नं. 615/2014) निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 5 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी सम्वत 2043 से 2046 के अनुसार ग्राम कंवरपुरा भट्टजी की खाता नम्बर 68 पुराना 67 की खसरा नम्बर 22 की 21 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 की 31 बीघा, खसरा नम्बर 44 की 31 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 59 की 39 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 63 की 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 148 की 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 152 की 2 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 153 की 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 154 की 19 बीघा, खसरा नम्बर 156 की 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 158 की 3 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 159 की 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 की 2 बीघा, खसरा नम्बर 162 की 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 164 की 2 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 165 की 4 बीघा, खसरा नम्बर 184 की 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 189 की 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 190 की 2 बीघा, खसरा नम्बर 196 की 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 197 की 1 बीघा, खसरा नमबर 220 की 19 बीघा, खसरा नम्बर 240 की 19 बीघा कुल 24 किता की 219 बीघा 05 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2019 से वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण 5, 6 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिकी योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रतिवादी कम 3 पंसु बाई के अधिवक्ता को जवाबदावे के लिये तारीख नियत की गयी थी, इसी दौरान प्रकरण को कानूनी प्रावधानों के विपरीत लोक अदालत की भावना के आधार पर तथाकथित अवैधानिक राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता की राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने में त्रुटि की हैं, अपीलान्ट की ओर से राजीनामा निर्णित करने बाबत् कोई आवेदन नहीं दिया गया, और न ही न्यायालय के समक्ष सहमति प्रदान की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने इस और ध्यान नहीं दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में जो आपसी बंटवारा पेश हुआ उस पर तारीख 04.02.2012 अंकित की गई है, एवं किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है एवं सहमति बंटवारा के मामले में तहसीलदार सहमति के आधार पर बंटवारा करने में सक्षम है। जब बंटवारा पत्र दिनांक 04.02.2012 को लिखा गया था, तो तत्समय ही क्यों नहीं पेश किया गया। 7 वर्ष बाद दावे की कार्यवाही में उक्त राजीनामा प्रस्तुत कर डिकी पारित की गयी है, वह कानूनी प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है। कानूनन राजीनामे के आधार पर वाद डिकी करने के लिये सभी पक्षकारान की सहमति

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आवश्यक है एवं सभी सहखातेदारान के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में जो राजीनामा प्रस्तुत हुआ है, उसमें करीब 18–20 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, जबकि निर्णय के मुताबिक दावे में 40 से भी अधिक व्यक्ति पक्षकार हैं, ऐसी स्थिति में तथाकथित राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.03.2019 को सहमति बंटवारा पत्र दिनांक 04.02.2012 प्रस्तुत किया उस राजीनामे में वर्णित हस्ताक्षर वाले व्यक्ति प्रतिवादी क्रम 24 चन्द्रमोहन की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। गोपाली की भी मृत्यु हो चुकी है एवं उक्त राजीनामा दिनांक 04.02.2012 में हस्ताक्षरित व्यक्तियों की किसने पहचान की इसका भी कोई उल्लेख राजीनामा पर नहीं है। ऐसी स्थिति में सहमति राजीनामा दिनांक 04.02.2012 के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। राजीनामा दिनांक 04.02.2012 पर अपीलान्ट पंसु बाई का जो अगूंठा लगा हुआ है, वह इस बात पर लगाया था कि अपीलान्ट पंसु बाई ने खसरा नम्बर 59 की 39 बीघा 9 बिस्वा आराजी में से 1/3 हिस्सा करीब आराजी अर्थात 13 बीघा 3 बिस्वा आराजी खातेदार जुगल किशोर से क्रय की गयी। तो पंसु बाई को 13 बीघा 3 बिस्वा ही आराजी मिलना चाहिये। ऐसी स्थिति में राजीनामे में पंसु बाई के हिस्से की आराजी 12 बीघा ही लिखी होने के कारण व अन्य की भी आराजी कम होने के कारण सन् 2012 में तहसीलदार के समक्ष राजीनामा पेश होने के पहले ही विवाद हो गया, इसलिये उस वक्त राजीनामा सहमति बंटवारा तस्दीक नहीं हो सका। इसी अवैधानिक राजीनामे का फायदा उठाकर वादीगण ने वाद एवं काउंटर क्लेम डिक्री करवा लिया, जो अवैधानिक है। अपीलान्ट पंसु बाई ने 206 बीघा 2 बिस्वा में से 247/4122 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2009 क्रय किया है एवं 1[illegible] बिस्वा आराजी खातेदारान से पृथक से क्रय की है। इस प्रकार अपीलान्ट को 13 बीघा 3 बिस्वा आराजी मिलना चाहिये। परन्तु अवैधानिक बंटवारा पत्र के आधार पर 12 बीघा आराजी अपीलान्ट के हिस्से में दी गयी, जो अवैधानिक है। वादीगण वाद में यह तथ्य लेकर के आये हैं कि खातेदार सतानन्द पिता मोतीलाल द्वारा अपने हिस्से एवं अधिकार से ऊपर जाकर 4 बीघा 8 बिस्वा आराजी का बेचान ललतेश पुत्र चन्द्र मोहन को कर दिया है, जिसके आधार पर खसरा नम्बर 59/346 की 4 बीघा 8 बिस्वा आराजी अलग खाते दर्ज हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में हिस्से से अधिक आराजी का बेचान होने से, उक्त 4 बीघा 8 बिस्वा आराजी का बेचान पक्षकारों के हितों के विरूद्ध अवैध घोषित किया जाना चाहिये ताकि अन्य पक्षकारान के हिस्से की आराजी में आराजी कम न पड़ सकें।

अधीनस्थ न्यायालय में कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं अवैधानिक सहमति बंटवारा पत्र के आधार पर अपीलान्ट को 13 बीघा 3 बिस्वा आराजी की जगह केवल मात्र 12 बीघा ही आराजी दी है, जो अवैधानिक है। अपीलान्ट के हिस्से की आराजी कम करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है एवं राजीनामे में प्रतिवादी क्रम 4 संतोष बाई को खसरा नम्बर 59 की 13 बीघा 3 बिस्वा की जमीन 14 बीघा 6 बिस्वा आराजी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अर्थात 1 बीघा 3 बिस्वा आराजी अधिकार दे दी गयी है। इसी कारण अपीलान्ट की 1 बीघा 3 बिस्वा आराजी कम हो गयी है, जो कानूनन अवैधानिक है। वाद दायरी से पूर्व के अवैधानिक राजीनामे के आधार पर सम्पूर्ण पक्षकारान के हस्ताक्षरों के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री करने में त्रुटि की है। प्रतिवादी मांगीबाई की मृत्यु होने से उसके कायम मुकामान बनाये जाकर अपील पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2019 एवं वाद वादीगण, प्रतिवादी कम 5 व 6 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जावें एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दिशा निर्देशानुसार रिमाण्ड फरमाया जावे कि वह अपीलान्ट को दावे में जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर दावे में पुनः निर्णय पारित करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.07.2020 एवं 03.01.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ता 5 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 5 व 6 ने अपना जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 3 ने जवाबदावे के लिए अवसर चाहा था। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा सहमति के आधार पर डिक्री किया। जबकि सहमति पत्र पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। सहमति पत्र दावे के पहले का सन् 2012 का है और दावा बाद का है। निर्णय के समय कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी नम्बर 24 की दौराने वाद मृत्यु हो चुकी थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। हमने 13 बीघा 3 बिस्वा आराजी कय की थी परन्तु हमें निर्णय में 12 बीघा आराजी ही मिली है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामे पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है, पहचानकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है तथा राजीनामा तस्दीक भी नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा अदम हाजरी में खारिज हुआ है पुनः नम्बर पर लेने के बाद सभी पक्षकारान को तलबी होनी चाहिए थी। निर्णय के दिन पत्रावली पर उपस्थिति में सभी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। सहमति बंटवारा रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में हमें सुनवाई व जवाब पेश करने का अवसर नहीं मिला। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे और अपील रिमाण्ड की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जाये। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1992 पेज 628, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 446, आर.आर.टी. 2019(1) पेज 249, आर.आर.टी. 2009(2) पेज 1225 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी क्रय की है। कुल वादग्रस्त आराजी 206 बीघा 2 बिस्वा थी जो 4122 बिस्वा बनती है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के हिस्से में 12 बीघा 07 बिस्वा बनती है। अपीलांट को 7 बिस्वा आराजी कम मिली है। वादग्रस्त आराजी 1 बीघा 3 बिस्वा नहर में गई, वादग्रस्त आराजी नहर के पास होने से अपीलांट का रकबा कम हुआ है। राजीनामे वाले स्टाम्प पर अपीलांट ने सहमति दी हुई है। अपील केवल अफेक्टेड व्यक्ति ही कर सकता है, एग्रिवड व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस प्रकार अपीलांट ने सहमति दे रखी है इसलिए अपीलांट अपील नहीं जा सकते। अपीलांट को राजीनामे को सक्षम न्यायालय में चेलैन्ज करना चाहिए था जो नहीं किया है। संतोष बाई को वादग्रस्त आराजी 1 बीघा 3 बिस्वा ज्यादा दे दी गई यह अपीलांट का कथन है, इस प्रकार केवल संतोष बाई के खिलाफ ही अनुतोष मांगा जा सकता था। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने कहा कि संतोष बाई का 13 बीघा 3 बिस्वा बनता है और संतोष बाई को 14 बीघा 3 बिस्वा आराजी दी गई है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में संतोष बाई की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी गहनता से अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 5 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रतिवादी क्रम 5 व 6 की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया। प्रतिवादी क्रम 28 व 27 द्वारा दिनांक 14.03.2019 को प्रार्थना पत्र के साथ आपसी सहमति बंटवारा पत्र दिनांक 04.02.2012 जो 500/- रूपये के स्टाम्प पर लिखा गया है, प्रस्तुत कर मुताबिक सहमति बंटवारा पत्र खाते का बंटवारा किये जाने की सहमति व्यक्त की है। पत्रावली में सलंग्न इसी आपसी सहमति बंटवारा पत्र के आधार पर अधीनस्थ

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय ने वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 5 व 6 का काउंटर क्लेम स्वीकार कर प्रस्तुत सहमति बंटवारे के अनुसार वाद वादी डिक्री किया है। प्रस्तुत सहमति बंटवारा पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि यह सहमति बंटवारा पत्र दिनांक 04.02.2012 को लिखा गया है। जिस पर सभी पक्षकारान/सहखातेदारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जबकि सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार समझौते के आधार पर डिक्री पारित करने के लिये समझौते का लिखित होना और सभी पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। प्रस्तुत सहमति बंटवारा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षकारान के पहचानकर्ता/गवाहान के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। प्रस्तुत सहमति बंटवारा पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है, जबकि सहमति बंटवारा पत्र को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करते समय ही सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संदर्भित प्रकरण में प्रस्तुत सहमति बंटवारा पत्र के आधार पर वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी क्रम 5 व 6 का काउंटर क्लेम स्वीकार कर डिक्री पारित करते समय उपरोक्त विधिक प्रावधानों पर कोई परीक्षण नहीं किया गया। विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर पारित किया गया निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2020/00059 (2020/39) (प्राथमिक डिक्री) एवं 2022/20 (काउंटर क्लेम) आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2019 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीवार विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.06.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/04/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा